Dispatch No. 42226/M (RD)

जयराम रमेश
JAIRAM RESH

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110114
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110 114

दिनांक : 15 सितम्बर, 2011

प्रिय नितीश कुमारजी —

जैसाकि मैंने 26 अगस्त, 2011 को पटना में आपसे वादा किया था, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की 14 सितम्बर, 2011 को हुई बैठक के निम्नलिखित निर्णयों को मैंने एक शुरूआत के रूप में मंजूरी दे दी है :-

1. बिहार के कोर नेटवर्क को अन्ततः मंजूरी दे दी गई है, सिर्फ शर्त यह है कि बसावट और राजस्व ग्राम जनसंख्या के आंकड़ों के बीच तालमेल होना चाहिए ।
2. राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत करने पर, पहले से स्वीकृत सड़कों (जो कोर नेटवर्क का हिस्सा है) पर छूटे हुए पुलों (15 मीटर और अधिक) को अनुमोदित कर दिया जाएगा ।
3. राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत करने पर पहले से स्वीकृत सड़कों (जो कोर नेटवर्क का हिस्सा है) पर छूटे हुए पुलों (15 मीटर से कम) के प्रत्येक मामले पर विचार किया जाएगा और गुण-दोष आधार पर मंजूरी दी जाएगी ।
4. समेकित कार्य योजना वाले 7 जिलों में लगभग 2300 कि.मी. के लिए 807 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें 12 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई हैं । इन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और राज्य सरकार को इसकी सूचना 30 सितम्बर, 2011 तक दे दी जाएगी ।
5. केंद्रीय एजेंसियों (एनबीसीसी, एनपीसीसी, एनएचपीसी) को पहले स्वीकृत की गई उन 409 परियोजनाओं (935 करोड़ रू. की लागत से 1827 कि.मी.) को रद्द कर दिया गया है, जिन्हें कार्यान्वयन हेतु सौंपा नहीं गया था । राज्य सरकार द्वारा इन सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत किए जाने के बाद इन्हें स्वीकृत किया जाएगा ।

सादर,

आपका,

जयराम रमेश

(जयराम रमेश)

श्री नितीश कुमार
मुख्य मंत्री
बिहार सरकार